निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या FR-80 वर्ष 2018-19

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोडा वन प्रभाग, अल्मोडा** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी भी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोडा वन प्रभाग, अल्मोडा** के माह 04/2017 से माह 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री निखिल गोस्वामी (स.लेप.अ., तदर्थ), श्री अंशुमन अग्रवाल, एवं श्री गोविन्द कुमार सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 04.09.2018 से 13.09.2018 तक संपादित किया गया था।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री अशोक कुमार मीणा, ले.प. एवं श्री अनूप कुमार गुप्ता सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 19.06.2017 से 01.07.2017 तक श्री पी.के.गुप्ता लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में संपादित की गयी थी। जिसमें माह 07/2016 से 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 04/2017 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र: अल्मोडा प्रभाग के अन्तर्गत वन संवर्धन एवं सुरक्षा सम्बन्धी समस्त कार्य

3. (ii) (अ) <u>राजस्व का विवरणः</u> विगत तीन वर्षो में कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत है :

वर्ष	अर्जित राजस्व (रू लाख में)
2015-16	1240.00
2016-17	721.00
2017-18	867.70

(ii) (ब) **बजट** का विवरण

विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः (₹ लाख में)

वर्ष	**प्रारम्भिक अवशेष (` लाख में)**		**स्थपना**		**गैर स्थापना (` लाख में)**		**आधिक्य**	**बचत**	
	स्थापना	**गैर स्थापना**	**आवंटन**	**व्यय**	**आवंटन**	**व्यय**		**स्थापना**	**गैर स्थापना**
2015-16	-	-	1001.20	1001.20	937.46	937.46	-	-	-
2016-17	-	-	1732.00	1732.00	178.78	178.00	-	-	-
2017-18	-	-	874.09	874.09	290.55	290.55	-	-	-

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः (₹ लाख में)

वर्ष	**योजना का नाम**	**प्रा0 अ0**	**प्राप्त**	**व्यय**	**बचत(-)/ आधिक्य (+)**
2017-18	इन्टेंसिफिकेशन ऑफ फारेस्ट मैनेजमेंन्ट	-	4.51	4.51	-

इकाई को बजट आवंटन शासन द्वारा द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई A श्रेणी की है।

(iii) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव-अपर सचिव- प्रमुख वन संरक्षक- अपर प्रमुख वन संरक्षक- मुख्य वन संरक्षक- वन संरक्षक- उप वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोडा वन प्रभाग, अल्मोडा** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोडा वन प्रभाग, अल्मोडा** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(Vi) विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :-

माह 03/2018 को विस्तृत जांच हेतु (राजस्व) चयनित किया गया।

माह 03/2018 को विस्तृत जांच (व्यय) हेतु चयनित किया गया।

योजना का चयन: यदि हो तो ....-.......

का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन .... (प्रतिचयन विधि का नाम अंकित किया जाय) के आधार पर किया गया।

(Vii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एवं लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

राजस्व

भाग-2 (अ)

प्रस्तर 1- प्रकाष्ठ की रॉयल्टीका अवरोधन।

वन विभाग में प्रचलित नियमों के अनुसार वन विभाग द्वारा वन निगम को दिये गए प्रकाष्ठ की रॉयल्टी की प्रथम किस्त प्रकाष्ठ आवंटन के वित्तीय वर्ष के मार्च माह में, दूसरी किश्त अगले वित्तीय वर्ष के जून माह में एवं तृतीय किश्त सितंबर माह में भुगतान कर देनी चाहिए।

प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोडा वन प्रभाग, अल्मोडा की लेखापरीक्षा (सितंबर 2018) में पाया गया कि वन निगम को वर्ष 2016-17 में आवंटित की गयी 4282.259 घन मीटर प्रकाष्ठ तथा वर्ष 2017-18 में आवंटित की गयी 744.02 घन मीटर प्रकाष्ठ की रॉयल्टी वन निगम से अद्यतन तक प्राप्त नहीं की गयी थी यद्यपि उक्त प्रकाष्ठ की रॉयल्टी अदा करने की अंतिम तिथियाँ (क्रमशः सितंबर 2017 एवं सितंबर 2018) व्यतीत हो चुकी थी। इस कारण से उक्त प्रकाष्ठ की कुल रॉयल्टी ₹1.06 करोड़ (संलग्नक-एक) का राजस्व निगम के पास अवरोधित था।

उक्त विषय में इंगित किए जाने पर प्रभागीयवनाधिकारी ने स्वीकार किया कि उक्त प्रकाष्ठ की रॉयल्टी अभी तक प्राप्त नहीं हुई है और बताया कि उक्त रॉयल्टी विकास कार्यों (सड़क इत्यादि) के पातन से प्राप्त प्रकाष्ठ से संबन्धित है और निगम के आदेश दिनांक 14.09.2018 के अनुसार उक्त प्रकाष्ठ की रॉयल्टी का भुगतान वन विभाग को नहीं किया जाएगा एवं उक्त प्रकाष्ठ के विक्रय से प्राप्त राशि का 80 प्रतिशत भाग विभाग को भुगतान किया जाएगा।

प्रभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वन निगम के एकतरफा आदेश के द्वारा वन विभाग के नियमों को बदलने का कोई औचित्य नहीं है एवं प्रभाग को उक्त रॉयल्टी की निश्चित समय पर मांग करनी चाहिए थी जो कि नहीं की गयी। साथ ही,प्रभाग को वर्तमान में उक्त प्रकाष्ठ के वन निगम द्वारा विक्रय की स्थिति भी पता नहीं है जिससे कि उक्त प्रकाष्ठ से प्राप्त होने वाले राजस्व के विषय में प्रभाग की उदासीनता परिलक्षित होती है।

अतः, ₹ 1.06 करोड़ के राजस्व का वन निगम के पास अवरोधन का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

संलग्नक-एक

वर्ष 2016-17 के विकास कार्यों की रॉयल्टी			
प्रकाष्ठ	मात्रा घन मीटर में	रॉयल्टी दर रुपए प्रति घन मीटर में	कुल रॉयल्टी रुपए में
चीड़ सामान्य	2379.248	2813	6692824.624
चीड़ पेंचदार	1735.465	1311	2275194.615
सीरस	22.637	9117	206381.529
देवदार	1.530	5101	7804.53
सेमल	0.368	2144	788.992
सुराई	4.401	1221	5373.621
यूकेलिप्टस	2.901	1833	5317.533
तुन	17.39	13788	239773.32
जामुन	0.964	2588	2494.832
अखरोट	1.925	16505	31772.125
कोकट	2.920	2829	8260.68
उतीस	1.983	2832	5615.856
जालौनीप्रजाति	109.845	1080	118632.6
वर्ष 2017-18 के विकास कार्यों की रॉयल्टी			
पेंचदार चीड़	**770.448**	**1149**	885244.752
सेमल	2.98	2245	6690.10
सुराई	1.132	925	1047.1
यूकेलिप्टस	1.081	1833	1981.473
तुन	0.113	10523	1189.099
जामुन	5.833	2136	12459.288
अखरोट	0.34	10883	3700.22
कोकट	0.28	1865	522.2
मिश्रित (कोकट)	26.921	1865	50207.665
महा योग			**10563276.76**

राजस्व

भाग 2 (अ)

प्रस्तर2 - प्रभाग की कार्ययोजना तैयार करने में विलंब होने के कारण आरक्षित वनों से लीसा का विदोहन रुकने से राजस्व की हानि।

टी एन गोदावर्मन मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय तथा राष्ट्रीय कार्ययोजना संहिता 2004 के प्रस्तर 92 के अनुसार भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना के अभाव में आरक्षित वनों में वन उत्पादों का व्यावसायिक विदोहन प्रतिबंधित है। राष्ट्रीय कार्ययोजना संहिता 2014 का प्रस्तर 33 भी इसी बात को रेखांकित करता है एवं निर्दिष्ट करता है कि प्रमुख वन संरक्षक (विभागीय मुखिया) को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वनों में सभी कार्य अनुमोदित कार्ययोजना के प्रावधानों के अनुसार ही हो।

प्रभाग प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोडा वन प्रभाग, अल्मोडा की लेखापरीक्षा में पाया गया कि अलमोड़ा वन प्रभाग की कार्ययोजना सितंबर 2016 में समाप्त हो गयी एवं कार्ययोजना वर्ष 2017 एवं 2018 में नयी कार्ययोजना तैयार न होने के कारण उक्त वर्षों में लीसा का विदोहन नहीं हो सका। लेखापरीक्षा ने पाया कि 30 सितंबर 2016 को समाप्त हो रही कार्ययोजना को वनाने के लिए जुलाई 2014 में कार्ययोजना अधिकारी की तैनाती की जानी थी जो कि जनवरी 2018 तक नहीं की गयी जिस कारण से नई कार्ययोजना निर्दिष्ट समय (01 अक्टूबर 2016) से अस्तित्व में नहीं आ सकी एवं नियमानुसार लिस विदोहन का कार्य रोक दिया गया। इससे अनुमानित 8695 कुंतल प्रति वर्ष (विगत चार वर्षों 2013, 2014, 2015 एवं 2016 लीसा फसलों के उत्पादन का औसत= 9020.59 कुंतल + 8898.825 कुंतल + 8317.48 कुंतल + 8543.935 कुंतल का औसत= 34780.83 कुंतल / 4 वर्ष = 8695 कुंतल) अर्थात 2017 एवं 2018 लीसा फसल के लिए कुल 17390 कुंतल लीसा का उत्पादन नहीं किया गया। इससे न्यूनतम मूल्य ₹ 4700 प्रति कुंतल (अल्मोडा वन प्रभाग का लीसा बेचने वाले प्रभागीय वनाधिकारी नैनीताल द्वारा दी गयी विक्रय दर) के आधार पर उक्त दो वर्षों में लीसा का विदोहन रुकने से कुल ₹8,17,33,000 के राजस्व की क्षति हुई जिसे समय पर कार्ययोजना बनाकर एवं आरक्षित वनों से लीसा विदोहित करके टाला जा सकता था ।

इस विषय में इंगित किए जाने पर प्रभागीय वनाधिकारी अल्मोड़ा ने उत्तर दिया कि प्रभाग की कार्ययोजना 2016 तक ही अस्तित्व में होने के कारण वर्ष 2017 से आरक्षित वनों में लीसा विदोहन का कार्य नहीं हुआ है उन्होने स्वीकार किया कि उक्त वर्षों में लीसा का विदोहन न किए जाने से राजस्व की हानि हुई है।

अतः, प्रभाग की कार्ययोजना तैयार करने में विलंब होने के कारण आरक्षित वनों से लीसा का विदोहन रुकने से ₹8.17 करोड़ के राजस्व की हानि का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

व्यय

भाग 2 अ

प्रस्तर 03- वृक्षारोपण पर निष्फल व्य्य ₹93.60लाख

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण मूल्यांकन एवं ऑडिट देहरादून उत्तराखंड के पत्र संख्या 663/37-04 दिनांक 24.01.2017 तथा पत्रांक 1170/37-04 दिनांक 19 मई 2018 के द्वारा प्रभगीय वनधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा के विभिन्न रेंजों की अनुश्रवण एवं मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है।

जिसके अनुसार प्रभाग में क्रमश वर्ष 2011-12 एव वर्ष 2014-15 में विभिन्न रेंजों में रोपित पौध का शासनादेश संख्या-98/14, प0भू0वि० दिनांक 07.01.1994 के मानको के अनुसार सफलता का प्रतिशत नहीं रहा।अतः संलग्न सूची के अनुसार विभिन्न रेंज में निर्धारित मानक के अनुसार सफलता प्रतिशत नहीं रही जिससे ₹ 9360544 का निष्फल व्यय हुआ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर प्रभाग ने अवगत कराया कि सफलता प्रतिशत कम रहने के संबंध में संबन्धित वन क्षेत्राधिकारी को नोटिस जारी किए जा रहे है।

अतः वृक्षारोपण पर निष्फल व्य्य ₹ 93.60 लाखका प्रकरण शासन के सज्ञान में लाया जाता है।

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या FR-80 वर्ष 2018-19

क्रम संख्या	रेंज का नाम	वृक्षारोपण क्षेत्र का नाम	योजना का नाम	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	रोपण वर्ष	कुल रोपित पौध	मौके पर जीवित पौध	सफलता प्रतिशत/मानक प्रतिशत	मानक से कम जीवि त पौ
1	सोमेश्वर	लखनाड़ी व०पं०	कैम्पा (क्षतिपूर्क वृक्षारोपण)	5.00	2014-15	5500	17	0.30%/48%	2623
2	द्वारहाट	तड़ागताल क०सं० 18	कैम्पा (ओक)	3.00	2014-15	3300	11	0.33%/48%	1573
3	द्वारहाट	गनोली व०प०	कैम्पा (चारा विकास)	5.00	2014-15	2500	11	0.44%/48%	1189
4	द्वारहाट	कनौली क०सं० 6	13वां वित्त आयोग	10.00	2014-15	11000	195	1.77%/48%	5085
5	मोहान	भतरौंज क०सं० 2	कैम्पा (मॉडल प्लांटेशन)	5.00	2014-15	5500	98	1.78%/48%	2542
6	सोमेश्वर	लमगड़ा क०सं०18	13वां वित्त आयोग	10.00	2014-15	11000	537	4.88%/48%	4743
7	जौंरासी	मानिला क०सं० 22	13वां वित्त आयोग	10.00	2014-15	11000	627	5.70%/48%	4653
8	रानीखेत	सिमोली	कैम्पा (1डी0)	5.00	2014-15	5500	360	6.54%/48%	2280
9	अल्मोड़ा	नौला व०पं०	कैम्पा (क्षतिपूर्क वृक्षारोपण)	8.00	2014-15	8800	658	7.47%/48%	3566
10	मोहान	टोटाम क०सं० 17	13वां वित्त आयोग	5.00	2014-15	5500	524	9.52%/48%	2116
11	रानीखेत	चौकुनी व०पं०	एफ०डी०ए० (पी०डी०)	2.00	2014-15	800	99	12.37%/48%	285
12	द्वारहाट	प्रेमपुरी व०पं०	कैम्पा (क्षतिपूर्क वृक्षारोपण)	5.00	2014-15	5500	683	12.41%/48%	1957
13	द्वारहाट	ग्वाड़ व०पं०	एफ०डी०ए० (ए०आर०)	1.00	2014-15	1100	186	16.90%/48%	342
14	रानीखेत	महरखोला व०पं०	कैम्पा (चारा विकास)	5.00	2014-15	2500	432	17.28%/48%	768
15	अल्मोड़ा	स्यूनी उखलाड	13वां वित्त आयोग	5.00	2014-15	5500	1079	19.61%/48%	1561

		क०सं० 1							
16	अल्मोड़ा	सल्ला रौतेला व०पं०	एफ०डी०ए० (ए०आर०)	2.00	2014-15	2200	447	20.31%/48%	**609**
17	रानीखेत	डड गलिया व०पं०	एफ०डी०ए० (ए०आर०)	3.00	2014-15	600	156	26.00%/48%	**132**
18	सोमेश्वर	किनाथ क०सं० 19	कैम्पा (ओक)	3.00	2014-15	3300	955	28.93%/48%	**629**
19	रानीखेत	स्यूं क०सं० 8ब	ए०एन०आर०	10.00	2011-12	2000	94	4.70%/45%	**806**
20	रानीखेत	बिलेख क०सं० 2	13वां वित्त आयोग	10.00	2011-12	9000	438	4.86%/45%	**3612**
21	मोहान	भतरौंज क०सं० 16	ए०एन०आर०	10.00	2011-12	2000	144	7.20%/45%	**756**
22	सोमेश्वर	चुनिया क०सं० 16	आरक्षित सिविल सोयम वनों का विकास	7.00	2011-12	7700	623	8.09%/45%	**2842**
23	सोमेश्वर	लोप क०सं० 4ब	कैम्पा	5.00	2011-12	3000	252	8.40%/45%	**1098**
24	जौरासी	खलडुवां व०पं०	कैम्पा (क्षतिपूर्क वृक्षारोपण)	10.00	2011-12	20000	1691	8.45%/45%	**7309**
25	सोमेश्वर	विजौरिया 25सी	कैम्पा	10.00	2011-12	20000	1721	8.60%/45%	**7279**
26	मोहान	सिलफोड़ी व०पं०	कैम्पा (क्षतिपूर्क वृक्षारोपण)	9.00	2011-12	18000	1562	8.67%/45%	**6538**
27	सोमेश्वर	पिनौना व०पं०	रोजगारपरक	8.00	2011-12	8800	855	9.71%/45%	**3105**
28	मोहान	तड़म व०पं०	रोजगारपरक	8.00	2011-12	8800	939	10.67%/45%	**3021**

29	जौरासी	सिमगाँव क०सं० 2	आरक्षित सिविल सोयम वनों का विकास	7.00	2011-12	7700	823	10.68%/45%	**2642**
30	रानीखेत	सौनी क०सं० 17	मनरेगा	2.00	2011-12	2000	231	11.55%/45%	**669**
31	रानीखेत	द्वारसों क०सं० 9	कैम्पा (क्षतिपूर्क वृक्षारोपण)	17.00	2011-12	34000	4204	12.36%/45%	**11096**
32	सोमेश्वर	खेड़िया क०सं० 15	मनरेगा	10.00	2011-12	11000	1421	12.91%/45%	**3529**
33	द्वाराहाट	कनोली व०पं०	कैम्पा (क्षतिपूर्क वृक्षारोपण)	8.00	2011-12	16000	2077	12.98%/45%	**5123**
34	अल्मोड़ा	नावली व०पं०	कैम्पा (क्षतिपूर्क वृक्षारोपण)	8.00	2011-12	16000	2146	13.41%/45%	**5054**
35	जौरासी	बुरांश पानी क०सं० 4	ए०एन०आर०	10.00	2011-12	2000	311	15.55%/45%	**589**
36	द्वाराहाट	चनौला 4	ए०एन०आर०	10.00	2011-12	2000	424	21.20%/45%	**476**
37	सोमेश्वर	भतीना क०सं० 7	13वां वित्त आयोग	10.00	2011-12	11000	2404	21.85%/45%	**2546**
38	द्वाराहाट	उखलेख क०सं० 2	मनरेगा	5.00	2011-12	5500	1225	22.27%/45%	**1250**
39	द्वाराहाट	खजुरानी 20	कैम्पा	10.00	2011-12	5000	1384	27.64%/45%	**866**
40	सोमेश्वर	भतीना क०सं० 12	ए०एन०आर०	10.00	2011-12	2000	589	29.45%/45%	**311**
41	द्वाराहाट	उखलेख क०सं० 14	आरक्षित सिविल सोयम वनों का विकास	10.00	2011-12	11000	3718	33.80%/45%	**1232**

42	रानीखेत	सौनी क०सं० 20	कैम्पा	10.00	2011-12	7000	2380	34.00%/45%	**770**
43	अल्मोड़ा	उ० स्याही देवी क०सं० 9	ए०एन०आर०	10.00	2011-12	2000	746	37.30%/45%	**154**
44	अल्मोड़ा	उ० स्याही देवी क०सं० 7	13वां वित्त आयोग	5.00	2011-12	2500	1035	41.40%/45%	**90**
									यो

व्य्य से संबन्धित

भाग-2 (ब)

प्रस्तर1- उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न किया जाना।

कार्यालय प्रभागीय वनधिकारी,अल्मोड़ा वन प्रभाग,अल्मोड़ा के लेखा अभिलेखों की जांच में पाया गया किप्रभाग द्वारा वनो की अग्नि सुरक्षा के तहत योजना के अंतर्गत वर्ष 2017-18 में विभिन्न वन पचायतों को ₹ 7.50लाख की धनराशि उपलब्ध कराई गयी थी। इसी प्रकार वन पंचायतों में पिलर निर्माण हेतु ₹1.80 लाख, ईको टास्क फोर्स को वनीकरण हेतु ₹25.00 लाख तथा नगर पालिका पार्क/ट्रेचिंग ग्राउंड हेतु आर ई एस को ₹15.00 लाख उपलब्ध कराये गए थे।लेखापरीक्षाके दौरान पाया गया की उक्त धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र वर्तमान तक प्रभाग को प्राप्त नहीं हुए है।

उक्त के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा उत्तर दिया गया कि उक्त धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे है प्राप्त होने पर लेखापरीक्षा को उपलब्ध करा दिये जाएंगे।

अतः ₹48.30 लाख के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर संप्रेक्षा में प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित रहेगा।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या FR-80 वर्ष 2018-19

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
34/2013-14	-	1,2	-
34/2015-16	1,2,3,4,5	-	01
03/2016-17	01	-	-
39/2017-18	-	1,2,3,4,5	-

व्यय से संबंधित: विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
34/2015-16	-	1,2,3	
03/2016-17	-	1	
39/2017-18	-	1,2	01

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1)राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा निस्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य

(2)व्यय से संबंधित इकाई द्वारा निस्पादित अच्छे कार्य - टिप्पणी शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोडा वन प्रभाग, अल्मोडा** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः
शून्य

2.**सतत् अनियमितताएः**

(1)भाग-2 'अ' प्रस्तर-1 (राजस्व)
प्रस्तर-2(राजस्व)
प्रस्तर-3(व्यय)

3.**लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
1	श्री एस.आर. प्रजापति	प्रभागीय वनाधिकारी
2	श्री पंकज कुमार	प्रभागीय वनाधिकारी

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोडा वन प्रभाग, अल्मोडा** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार (राजस्व), कार्यालय महालेखाकर (लेखापरीक्षा)-उत्तराखंड, देहारादून को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
राजस्व क्षेत्र